(वाद संख्या–578/19)

08.02.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, नेहा देवी, के भैंसुर, राजू रंजन को पुलिस द्वारा रस्सी से हाथ–पैर बांधकर व मारपीट कर पुलिस अभिरक्षा में भोजपुर, आरा जिलान्तर्गत आयर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम कुमार व उनके साथी पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा द्वारा राज्य आयोग को सर्वप्रथम दिनांक–18.06.2019 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा परिवादी के प्रत्युत्तर पर पुनः पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक–18.12.2020 को अपना दूसरा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अपने दूसरे प्रतिवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर के जांच–प्रतिवेदन को भी अनुलग्नित किया गया है।

संचिका के अवलोकन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है :–

1. दिनांक–30.12.2018 को संध्या महथीन टोला, थाना–आयर, जिला–भोजपुर में एक कौशल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में परिवादी के पति तथा उसके मृतक भैंसुर, राजू रंजन व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध आयर थाना कांड संख्या–93/18, दिनांक–31.12.2018 संस्थित किया गया। दिनांक–01.01.2019 को संध्या 06 बजे जब परिवादी, अपने भैंसुर व पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर पर थी, तभी आयर थाना के तत्कालीन पु0अ0नि0, प्रेम कुमार, अपने पुलिस टीम के साथ परिवादी के घर पर पहुंचे तथा आयर थाना कांड संख्या–93/18 के प्राथमिकी अभियुक्तों (परिवादी के पति व मृतक भैंसुर) के संबंध में पूछताछ करने लगे।

2. इसके बाद के घटना के सम्बन्ध में परिवादी के कथन व पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के कथन में विरोधाभास है।

3. परिवादी का कथन है कि उन पुलिस कर्मियों ने उसके भैंसुर को घर से पकड़ लिया तथा उनके साथ मारपीट करने लगे व उनके दोनों वांह को रस्सी से बांध दिया तथा गांव से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी जबकि, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदनानुसार जब पुलिसकर्मीगण परिवादी के घर पर पहुंचे तो परिवादी के मृतक भैंसुर व पति सहित कांड संख्या–93/18 के सभी प्राथमिकी अभियुक्तगण देशी पिस्तौल व बंदूक से पुलिसकर्मियों पर फायर करते हुए घर के पीछे तरफ से भागने लगे तथा पुलिस कर्मियों द्वारा जब उनका पीछा किया जाने लगा तो भागते हुए घर के थोड़े ही

दूरी पर लड़खड़ाकर परिवादी के मृतक भैंसुर राजू रंजन धनकुट्टी मिल पर पीठ के बल गिर गये जिससे उसका सर धनकुट्टी मिल के फांउनडेशन से टकरा गया, तब तक पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया जबकि परिवादी के पति सहित उसके अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार राजू रंजन के पास से एक देशी बंदूक, एक बारह बोर के बंदूक की गोली का खोखा एवं एक बारह बोर के बंदूक का जीवित कारतूस बरामद किया गया। मृतक राजू रंजन के चोट को देखते हुए उसे अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर ईलाज के लिए ले जाया गया, परन्तु वहां उसकी स्थिति को खराब देखते हुए उसे सदर अस्पताल, आरा रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4. **उपरोक्त दोनों परस्पर विरोधी कथनों से यह प्रतीत होता है कि या तो मृतक राजू रंजन की पुलिस अभिरक्षा में हत्या/मृत्यु हुई है या पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने हेतु पीछा करने के दौरान जख्मी हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है ?**

5. मृतक राजू रंजन के कथित मृत्यु/हत्या के परिस्थितियों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व मृतक राजू रंजन के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा आयर थाना कांड संख्या–93/18, दिनांक–31.12.2018 के केस डायरी का अवलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

6. कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा से दिनांक–24.05.201 के पूर्व तक **आयर थाना कांड संख्या–93/18, दिनांक–31.12.2018 के केस डायरी की स्पष्ट छाया–प्रति, आयर थाना कांड संख्या–02/19, दिनांक–03.01.2019 के अन्तर्गत मृतक राजू रंजन के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा केस डायरी की स्पष्ट छाया–प्रति की मांग की जाय।**

दिनांक–27.05.2021 को संचिका उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक